प्रपत्रः—8

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,सिणधरी

(लोक अदालत / कैम्प कोर्ट) केम्पः—पंचायत मुख्यालय, लोहिडी

प्रकरण सं.:—77 / 2018

क्रमांकः—लो.अदा. / 2018 / 1269

दिनांकः—5.6.18

निर्णय

वादी की ओर से एक राजस्ववाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत इस आंशय प्रस्तुत किया गया कि ग्राम लोहिड़ी तहसील सिणधरी की खाता संख्या 23 भूमि अवस्थित है,जो वादी की सयुंक्त खातेदारी में दर्ज है। जिसमें वादी का अशुद्व नाम बगताराम प्रविष्ठि हो रखा है, जबकि वादी का वास्तविक नाम बगताराम न होकर बगदाराम है। अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त भूमि में बगताराम के स्थान पर बगदाराम शुद्व प्रविष्ठि किया जावें।

वादी का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। वादग्रस्त भूमि के संबंध में तहसीलदार सिणधरी से जांच करवाई गई। तहसीलदार सिणधरी की रिपोर्ट के अनुसार वादग्रस्त भूमि में वादी के नाम की अशुद्व प्रविष्ठि अंकित हो रखी है, जबकि सरकारी दस्तावेज यथा— परिवार राशन कार्ड, दी स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर शाखा सिणधरी बैंक डायरी प्रति, जॉब कार्ड, आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, आयकर विभाग द्वारा जारी पैन कार्ड प्रति में वादी का बगदाराम शुद्व नाम अंकन है। जो बगताराम के स्थान पर बगदाराम नाम शुद्व किये जाने की अनुशंषा की जाती है।

लिहाजा राजस्व लोक अदालत की भावना को मध्यनजर रखते हुए तहसीलदार सिणधरी की अनुशंषा के आधार पर वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम लोहिड़ी तहसील सिणधरी की खाता संख्या 23 भूमि के राजस्व रिकॉर्ड (जमाबन्दी) में अंकित प्रविष्ठि बगताराम वल्द सुरता के स्थान पर बगदाराम वल्द सुरताराम दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। शेष बदूस्तर रहेगा।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर,सिणधरी
दिनांकः— 5.6.18

क्रमांकः—लो.अदा. / 2018 / 1270-72
प्रतिलिपिः—

1. तहसीलदार सिणधरी को भेजकर लेख है,कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना से रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री बगदाराम पुत्र सुरताराम निवासी लोहिडी तहसील सिणधरी को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर,सिणधरी

Scanned by CamScanner